सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 461/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 26 अक्टूबर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना निजामाबाद

नेत्रहीन युवती से दुर्ष्कम के अभियोग में अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.10.2020 को थाना निजामाबाद क्षेत्र की प्रार्थिनी उम्र 18 वर्ष द्वारा खुद के रिश्तेदार इस्लाम पुत्र मोहम्मद नट द्वारा पिछले दो वर्षो से प्रार्थिनी के साथ बलात्कार करने तथा प्रार्थिनी द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/20 धारा 376,506 भादवि में अभियोग पंजीकृत कराना।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये गये आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान के फरीहा चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 191/20 धारा 376,506 भादवि में नामजद इस्लाम पुत्र मोहम्मद नट निवासी गन्धुवई बड़नपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ अपने घर के बाहर बैठा हुआ है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान मय मुखबिर के अभियुक्त के घर के थोडी दूर पहूंचे तब मुखबिर द्वारा चारपाई पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर हट गया मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास पहुंच कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम इस्लाम पुत्र मोहम्मद नट बताया चूंकि मुकदमा उपरोक्त में इस्लाम उपरोक्त नामजद अभियुक्त है कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 191/20 धारा 376,506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

इस्लाम पुत्र मोहम्मद नट ग्राम गन्धुवई बड़नपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान थाना निजामाबाद, आमजगढ